रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1993/ज्यैष्ठ 5, 1915
No. 304] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 1993/JYAISTHA 5, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1993

का.आ. 334(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार

के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 221(अ) तारीख 21 मई, 1989 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 4 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

सारणी

क्रम संख्या	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
"4.	टर्बुटेलिन सल्फेट टिकिया	2.5 मिग्रा./टिकिया	10 का पत्ता	3.02
5.	टर्बुटेलिन टिकियां	5 मिग्रा/टिकिया	10 का पत्ता	4.90"

[सं. 8(56)/87-पी आई 2]

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2) तारीख 21 मार्च 1989 में उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 221(अ) तारीख 21 मार्च, 1989 के रूप मे प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था :—

(1) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 786(अ) तारीख 5-10-1989

(2) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 535(अ) तारीख 2-7-1990

(3) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 884(अ) तारीख 12-11-1990

(4) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 221(अ) तारीख 26-3-1991

(5) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 754(अ) तारीख 2-11-1991

सभी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(1) में प्रकाशित ।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1993

S.O. 334.—(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petro-Chemicals) No. S.O. 221(E) dated 21-03-1989, namely :

In the table below the said order for serial members 4 and 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Ceiling Price (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	Terbutaline Sulphate Tablets.	2.5mg/Tablet	10's Strip	3.02
5.	Terbutaline Sulphate Tablets.	5mg/Tablet	10's Strip	4.90"

[No. 8(56)/87-PI(II)]

VINOD VAISH, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India Extraordinry, Part II, Section 3(ii) dated 21-03-1989 vide Government notification, Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 221 (E) dated 21-03-1989 and was subsequently amended vide :

(1) Government Notification No. S.O. 786 (E) date 05-10-1989;
(2) Government Notification No. S.O. 525 (E) datad 02-07-1990;
(3) Government Notification No. S.O. 864 (E) dated 12-11-1990;
(4) Government Notificaion No. S.O. 221 (E) dated 26-03-1991; and
(5) Government Notification No. S.O. 754 (E) dated 02-11-1991

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993